रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04062026-273125
CG-DL-E-04062026-273125

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2651] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2026/ज्येष्ठ 8, 1948
No. 2651] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2026/JYAISTHA 8, 1948

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2026

का.आ. 2744(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, नागालैंड (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का नीचे दी गई सारणी के अनुसार गठन करती है :-

सारणी

क्रम सं.	अधिकारी या व्यक्ति का नाम	पदनाम
1.	श्री एलूसिंग मेरु, सिक्स थएण्ड्स, अता मेरु कॉलोनी, जूडियो स्टोर के निकट, चुमुकेदिमा, नागालैंड	अध्यक्ष
2.	श्री यानबेमो लोथा,	सदस्य

	एच.एन.सी-.171, न्यू मिनिस्टर्स हिल कॉलोनी, अराधुरा हिल, कोहिमा, नागालैंड –797001	
3.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक), प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख का कार्यालय, नागालैंड, कोहिमा, नागालैंड	सदस्य सचिव

2. प्राधिकरण पैरा 4 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति की सिफारिशों पर अपना विनिश्चय करेगा ।

3. प्राधिकरण के सभी विनिश्चय बैठक में किए जाएंगे और साधारणतया सर्वसम्मत होंगे:

परंतु यदि विनिश्चय बहुमत द्वारा किया जाता है, इसके पक्ष और विपक्ष में विचारों के ब्यौरे कार्यवृत्त में स्पष्टतया अभिलिखित किए जाएंगे और उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को भेजी जाएगी।

4. केंद्रीय सरकार, नागालैंड राज्य सरकार के परामर्श से, प्राधिकरण की सहायता करने के प्रयोजन के लिए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति नागालैंड (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) का नीचे दी गई सारणी के अनुसार गठन करती है :-

सारणी

क्रम सं.	अधिकारी या व्यक्ति का नाम	पदनाम
1.	श्री मेयिपोक्यिम अयेर, एच .एन/170, सेक्टर-4, लेन-3, लेंग्रीजान, दीमापुर -797113, नागालैंड	अध्यक्ष
2.	डॉ. ग्लेन टी. थोंग, भूविज्ञान विभाग, नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा परिसर, मेरीएमा -797004	सदस्य
3.	डॉ. नेइजो पुरो, वनस्पति विज्ञान विभाग, नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमामी, जिला जुनहेबोटो -798627, नागालैंड	सदस्य
4.	डॉ. लाटोंगलीला जमीर, पर्यावरण विज्ञान विभाग, नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमामी, जिला जुनहेबोटो -798627, नागालैंड	सदस्य
5.	श्री वाई. नुक्लू फोम, हाई स्कूल वार्ड मकान संख्या 86, एसबीआई शाखा के सामने, लॉन्गलेंग	सदस्य
6.	मुख्य वन संरक्षक (पर्यावरण, जैव विविधता और अनुसंधान), प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख का कार्यालय, नागालैंड, कोहिमा, नागालैंड	सदस्य सचिव

5. प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

6. प्राधिकरण और समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हैं।

7. हित के किसी विरोध से बचने के लिए, --

(i) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, तथा समिति, -

(क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श संगठन से और परियोजना के प्रस्तावक से भी जुड़े हैं; और

(ख) परियोजना के लिए पर्यावरण समाघात निर्धारण और पर्यावरण प्रबंध योजना को तैयार करने के संबंध में कोई परामर्श नहीं देंगे और सहयोग नहीं करेंगे जिसे उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित किया जाना है या जिसका समिति द्वारा अंकन किया जाना है ।

(ii) यदि प्राधिकरण या समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य ने पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान की हैं या पर्यावरण समाघात निर्धारण अध्ययन संचालित किया है तो उस दशा में वे ऐसे प्रस्तावकों द्वारा किसी प्रस्तावित परियोजना के अंकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण या समिति की बैठकों से स्वयं को दूर रखेंगे ।

8. समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति नहीं बन सकती है,तो बहुमत का अभिमत अभिभावी होगा ।

9. नागालैंड राज्य सरकार प्राधिकरण और समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए अभिकरण विनिर्दिष्ट करेगी और सचिवालय उक्त अधिसूचना के अधीन वित्तीय और संभार तंत्र सहायता जिसके अधीन आवास परिवहन और उनके कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं भी हैं उपलब्ध कराएगा ।

10. प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ते और मंहगाई भत्ते नागालैंड सरकार के सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार संदत्त किए जाएंगे

[फा. सं. आईए3-13/5/2022-आईए.III]
रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2026

S.O. 2744(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section(ii), vide number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Nagaland (hereinafter referred to as the Authority) as per the Table below, namely:—

Table

Sr.No	Name of the Officer or person	Designation
1.	Shri Elusing Meru, 6th Ends, Ata Meru Colony, Near Zudio Store Chumukedima, Nagaland.	Chairman
2.	Shri. Yanbemo Lotha, H.N.C-171, New Ministers Hill Colony Aradhura Hill, Kohima, Nagaland - 797001.	Member
3.	Additional Principal Chief Conservator of Forest (Territorial), Office of the Principal Chief Conservator of Forest & Head of Forest Force Nagaland, Kohima, Nagaland.	Member Secretary

2. The Authority shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 4 of this notification.

3. All decisions of the Authority shall be taken in a meeting and shall ordinarily be unanimous; Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

4. The Central Government, in consultation with the State Government of Nagaland, for the purpose of assisting the Authority, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee for the State of Nagaland, (hereinafter referred to as the Committee) as per the Table below, namely: -

TABLE

Sr.No.	Name of the Officer or person	Designation
1.	Shri Meyipokyim Aier, H/N. 170, Sector-4, Lane 3, Lengrijan, Dimapur-797113, Nagaland	Chairman
2.	Dr. Glenn T. Thong, Department of Geology, Nagaland University, Kohima Campus, Meriema-797004.	Member
3.	Dr. Neizo Puro, Department of Botany , Nagaland University, Lumami, District: Zunheboto-798627, Nagaland.	Member
4.	Dr. Latonglila Jamir, Department of Environment Science, Nagaland University, Lumami, District. Zunheboto-798627, Nagaland.	Member

5.	Shri. Y. Nuklu Phom, High School Ward H-No.86, Opposite SBI Branch, Longleng.	Member
6.	Chief Conservator of Forests (Environment, Biodiversity & Research), Office of the Principal Chief Conservator of Forest & Head of Forest Force Nagaland, Kohima, Nagaland	Member Secretary

5. The Chairman and Member of the Authority and the Committee, shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

6. The Authority and the Committee shall exercise such powers and follows such procedures as specified in the said notification.

7. In order to avoid any conflict of interest,-

(i) the Chairman and Members of the Authority, and the Committee shall,-

(a) declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents; and

(b) not undertake any consultation or associate with regard to preparation of Environment Impact Assessment and Environment Management Plan for project, which is to be decided by the Authority or to be appraised by the Committee during their tenure; and

(ii) in the preceding five years, if the Chairman or any Member of the Authority, and the Committee have provided consultancy services or conducted Environment Impact Assessment studies for any project proponent, in that event they shall recuse themselves from the meetings of the Authority or the Committee as the case may be, from the process of appraisal of any project proposed by such proponents.

8. The Committee shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the views of the majority shall prevail.

9. The State Government of Nagaland shall specify an agency to act as secretariat of the Authority and the Committee which shall provide financial and logistic support, including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions under the said notification.

10. The sitting fees, traveling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority and the Committee shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules of the State Government of Nagaland.

[F.No. IA3-13/5/2022-IA.III]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.06.04 18:38:37 +05'30'